

042/20

पत्रावली भेज दी। वकील समय पक्ष उपप/ इस पत्र से संबंधित पत्रावली का रिक्वेजत मानवीय न्यायालय राजस्व मंडल अफसर से होने के कारण मूल पत्रावली वहां चली गई है। मानवीय न्यायालय राजस्व मंडल अफसर के निर्णय उपरान्त आदेश प्राप्त होने के अनुसार मूल पत्रावली में कार्यवाही कर ली जावेगी। तब तब के लिए इस न्यायालय में विचाराधीन चल रहा पत्रावली इसी स्टेज पर होफ किया जाता है।

उप जिला कलेक्टर
शामनवास (जिला-स०मा०)

